HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17354/2026
CNR: RJHC021054972026 | URN: CRLMB / 31927U / 2026

1. Shaikul S/o Abdul, Aged About 27 Years, R/o Nagla Aaramsingh, Police Station Kaithwara, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).
2. Rahul S/o Abdul, Aged About 44 Years, R/o Nagla Aaramsingh, Police Station Kaithwara, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).
3. Fakhru @ Fakhruddin S/o Nurmohammad, Aged About 44 Years, R/o Nagla Aaramsingh, Police Station Kaithwara, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).
4. Sakir S/o Iliyas, Aged About 36 Years, R/o Nagla Aaramsingh, Police Station Kaithwara, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rahul Sinsinwar
For Respondent(s) : Mr.Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–कैथवाडा जिला–डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **234/2023** अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में किसी पुलिसकर्मी के कोई चोट नहीं आई है और न ही उनका मेडिकल मुआयना हुआ है। प्रार्थीगण–अभियुक्त पर किसी के कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण तन्ना को इस न्यायालय द्वारा, मैना व अफसीना को समकक्ष पीठ द्वारा तथा ममरेज, जाहुल व वकील को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का मामला उनसे भिन्न नहीं है। वे दिनांक 4.10.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पुलिस जाब्ते पर पत्थर फेंके गये हैं तथा वांछित मुलजिमान इलियास व अन्य को, जिन्हें पुलिस ने पकडा था, को छुडवाया व उनकी गाडी का नुकसान किया। गंभीर अपराध है। अतः उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 336, 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी अधिनियम का आक्षेप है प्रार्थीगण–अभियुक्त पर किसी के कोई विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण तन्ना को इस न्यायालय द्वारा, मैना व अफसीना को समकक्ष पीठ द्वारा तथा ममरेज, जाहुल व वकील को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तथा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का मामला उनसे भिन्न नहीं है। वे दिनांक 4.10.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत

किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

119/JITENDRA SINGH PANWAR